छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
"मंत्रालय"
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

क्र. 1219 /एफ–1–188/31/एस–2/2019, अटल नगर, दिनांक 09/03/2021

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार,
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषयः— **महासमुंद जिले के विकासखंड–सरायपाली की घोरघाटी जलाशय के नहर मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।**

संदर्भ :— प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग का पत्र क्र.–361/367/बो.प्र./प्रशा.स्वी./2019/14553, दिनांक 25.11.2019.

—00—

राज्य शासन एतद् द्वारा महासमुंद जिले के विकासखंड–सरायपाली की घोरघाटी जलाशय के नहर मरम्मत, जीर्णोद्धार एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 563.57 लाख (रुपये पांच करोड़ तिरसठ लाख संतावन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति नाबार्ड से स्वीकृति उपरांत कार्य प्रारंभ करने की शर्त पर प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई क्षमता (911 हेक्टेयर) में 580 हे. की हो रही कमी की पूर्ति तथा 06 हे. अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 917 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण–पत्र शासन को दिया जावे ।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग–एक के नियम–10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो ।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या–75 जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, 4702–लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {101}–सतही जल (0311) नाबार्ड पोषित योजनाएं–(9469)–नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत, #97–निर्माण कार्य 003–बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.–1292/बजट–2/वित्त/चार/2021, दि. 24.02.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग
अटल नगर, रायपुर (छ.ग.)
09 MAR 2021
कक्ष.........

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(वृन्दावन सेन)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

..2

E:\D.2-WRD 2017\AARAA 199.doc.docx